198

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

ए०एस०मैथ्यू, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं0 SHSB/FA/86/09
पत्रांक सं0: 10095 दिनांक : 12 / 05 / 09

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार ।

विषय: जिला स्तरीय कार्य योजना के कियान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2009–10 की राशि को आवंटित करने की प्रकिया के सम्बन्ध में।

प्रसंग: पत्रांक SHSB/Gen.Admin/140/08- **9635 दिनांक 05/04/2009 तथा 9686 दिनांक 07.04.2009.**

महाशय,

जिला स्तरीय कार्य योजना के कियान्वयन के कम में राज्य स्तरीय कार्यशाला में सभी जिले से आये पदाधिकारियो ने कर्णाकित मदवार आवश्कता की राशि को वार्षिक एवं त्रैमासिक अवधि में चिन्हित किया है जिसका आधार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे वर्ष का कर्णाकित मदवार आवंटित राशि है। इस कर्णाकित मदवार आवश्यकता के अनुमोदन की पृच्छा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से की गई है । उदाहरणार्थ कर्णाकित मद के अंतर्गत निम्नलिखित कंडिकाए उल्लेखित की जा रही है ।

1) कर्णाकित मद :–

1.1) मूल कर्णाकित राशि यथा (आर0सी0एच0–II (पार्ट–ए) एन0आर0एच0एम0 एडिस्नालिटिज (पार्ट–बी0), नियमित टीकाकरण तथा पल्स पोलियो (पार्ट–सी0) एवं रोग नियत्रण कार्यकम आदि) । मूल कर्णाकित मद् के भाग–सी0 में नियमित टीकाकरण तथा पल्स पोलियो की राशि निर्गत की जा रही है। अतैव मूल कर्णाकित मद भाग–सी0 को दो भागों में वितरित किया गया है –नियमित टीकाकरण एवं पल्स पोलियों, नियमित टीकाकरण के शीर्ष को सी0–आर0आई0 तथा पल्स पोलियों मद को सी0–पी0पी0 पढ़ा जाये ।

1.2) प्रथम उपकर्णाकित राशि यथा आर0सी0एच0–II (मूल कर्णाकित मद) में मेटरनल हेल्थ, चाईल्ड हेल्थ, इन्फास्ट्रक्चर, फैमिली पलानिंग, अर्स, अरबन हेल्थ, इनोवेशन, इन्स्टीच्यूशनल स्ट्रेथनिंग, ट्रेनिंग, आई0ई0सी0–बी0सी0सी0, प्राक्यूरमेंट ऑफ इक्यूपमेंट एवं प्रोग्राम मैनेजमेंट आदि आते है ।

1.3) द्वितीय उपकर्णांकित राशि अर्थात उदाहरण के लिये मेटरनल हेल्थ जो कि प्रथम उपकर्णांकित मद की राशि के अन्तर्गत आता है । इसके अन्तर्गत द्वितीय उपकर्णांकित राशि यथा एफ0आर0यू0, रेफरल ट्रासपोर्ट, जे0वी0एस0वाई0 होम डिलिवरी इत्यादि ।

1.4) तृतीय उपकर्णांकित राशि यथा जे0वी0एस0वाई0 के अर्न्तगत होम डिलेवरी इन्सटीट्यूश्न डिलेवरी आदि आते हैं।

1.5) चतुर्थ उपकर्णांकित राशि के अर्न्तगत इन्सटीट्यूश्न डिलेवरी में रुरल एवं अरबन डिलेवरी मद आदि आयेंगे।

2) जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य इकाई आधारित कर्णांकित मदवार त्रैमासिक एवं वार्षिक आवंटन हेतु कार्यशालाः–

2.1) जिला स्तरीय कार्य योजना के कियान्वयन के लिए जिले स्तर पर दो दिवसीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाये जिसमे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखण्ड लेखापाल प्रतिभागी होगे। इस बैठक का उद्देश्य जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रेषित त्रैमासिक एवं वार्षिक मदवार व्यय सीमा को विभिन्न इकाईयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार कर्णांकित मदो में आवटित करना होगा ।

2.2) कार्यशाला का आयोजन निम्नाकिंत चरणों में सम्पादित करना सुनिश्चित करे –

2.2.1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी मूल कर्णाकित मदों का आवंटन राज्य स्तर से प्राप्त समीक्षोपरान्त राशि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विभिन्न इकाईयों के आधार पर जिलास्तर पर वितरित किया जाये।

2.2.2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव अन्य इकाईवार राशि के वितरण का आधार प्रत्येक मद में निर्धारित इकाई(Unit) खर्च एवं सबंधित मद की व्यय प्रकिया होगी।

3. इसे जिले स्तर पर संकलित कर प्रत्येक इकाई को मूल,/प्रथम /द्वितीय कर्णाकित मदों में वार्षिक व्यय सीमा आधारित कार्यशाला में किया जायेगा (आर0सी0एच0–II एन0आर0एच0एम0 एडिस्नालिटिज, टिकाकरण, रोग नियत्रण कार्यकम एवं पल्स पोलियो आदि।)

4. उपर्युक्त वितरित मदवार आवंटन की वार्षिक राशि को प्रखण्ड स्तर एवं अन्य इकाई से आये पदाधिकारियों के द्वारा त्रैमासिक आधार पर राशि का आवंटन किया जाये।

5. इस कम में प्रत्येक मदो से सबंधित जिला कार्यकम पदाधिकारी अपने कार्यकम से सबंधित गतिविधियो की चर्चा कार्यशाला में करेगे यदि किसी भी तरीके की शंका प्रतिभागियों को होती है तो सबंधित जिला कार्यकम पदाधिकारी इस शंका का समाधान करेगे। इस गतिविधी के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कार्यशाला से पूर्व सभी जिला स्तरीय कार्यकम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गतिविधियों की स्पष्टता सूनिश्चित कर लेगे अन्यथा कार्यशाला में अस्पष्टता होने की संभावना हो सकती है। साथ ही जिला स्तर पर आयोजित कार्यशाला पूर्व बैठक में जिले के द्वारा निर्मित जिला कार्य योजना की भी चर्चा की जाय। इसमें यह स्पष्ट किया जाय कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

जिला आधारित मूल कर्णांकित, एवं सभी उपकर्णांकिंत वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे जिला के द्वारा निर्मित जिला कार्य योजना की गतिविधियों के आधार पर संकलित किया जायेगा, एवं गतिविधियों की प्राथमिकता भी निर्धारित की जायेगी। इस अभ्यास कार्य का उद्वेश्य यह होगा कि राज्य स्वास्थ्य समिति से निर्गत मूल कर्णाकिंत मद् की राशि का उपयोग जिले के द्वारा बनाये गये कार्य योजना के अनुसार किया जायेगा, एवं यह निर्धारित किया जा सकेगा कि कौन सी गतिविधि कब क्रियान्वित की जायेगी।

6. राशि के आवंटन का आधार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 10096 दिनांक 12/05//2009 होगा जिसके अन्तर्गत राशि के आवंटन का सिद्वात को उल्लेखित किया गया है। इसमें यह स्पष्ट है कि राज्य स्वास्थ्य समिति से मूल कर्णाकित मद में ही राशि का आवंटन किया जायेगा । राज्य स्वास्थ्य समिति आपके द्वारा प्रेषित उपकर्णाकिंत मदों में आवंटित राशि की मोनिटरिंग जिले से प्राप्त एफ0 एम0 आर0 से करेगी । राशि के आवंटन की मौनिटरिंग जिले के द्वारा निर्धारित त्रैमासिक व्यय सीमा पर आधारित होगा इसमें यह स्पष्ट है कि यदि किसी जिले ने प्रथम त्रेमास में निर्धारित व्यय सीमा का व्यय सुनिश्चित नहीं किया है तो व्यय नहीं की गयी राशि को वैसे जिलों को पूनः आवंटित कर दिया जायेगा जिन्होने अपना त्रेमासिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । जैसे किसी जिले का मूल कर्णाकित मद की प्रथम त्रैमासिक सीमा 2 करोड़ रूपये है और उन्होने मात्र एक करोड़ रूपये ही खर्च किये है उन जिलों को आगामी त्रैमासिक व्यय सीमा की राशि में से एक करोड़ रूपये घटा दिया जायेगा और उन जिलों को उस राशि को दुसरे त्रेमास में आवंटित किया जायेगा जिन्होंने अपना निर्धारित त्रैमासिक व्यय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उन्होने उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करा दिया है उन्हे राशि आवंटित की जायेगी । इस प्रकार उन जिलो को लगातार राशि उपलब्ध करवाई जायेगी जिन्होंने अपना निर्धारित व्यय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा वे जिले आवंटन से वंचित होंगे जिन्होने अपना निर्धारित व्यय लक्ष्य प्राप्त नही कर सके हैं ।

यहा यह स्पष्ट करना है कि प्रत्येक जिले का Performance Appraisal और Variance का Calculation राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में स्वीकृत वार्षिक व्यय सीमा के आलोक में किया जायेगा।

इस प्रकिया के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मूल अवधारणा को कियान्वित करने में अपना सहयोग सूनिश्चित करने की कृपा करे।

विश्वासभाजन

11/5/09
(ए०एस०मैथ्यू)

प्रतिलिपिः

1. सभी जिला कार्यकम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

URGENT

199

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

एo एसo मैथ्यू, भाoप्रoसेo
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं0 SHSB/FA/86/09
पत्रांक सं०: 10096 दिनांक : 12 /05/09

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी–सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

विषयः– जिला स्तरीय कार्य योजना के कियान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2009–10 में राशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः पत्रांक SHSB/Gen.Admin/140/08- 9635 दिनांक 05/04/2009 तथा 9686 दिनांक 07.04.2009.

महाशय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से कियान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 की राशि का आवंटन विभिन्न मदो में किया जा रहा है जिसका आधार निम्नवत है:–

1) इस आवंटन का आधार राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा निर्मित मदवार राशि की निर्धारित त्रैमासिक एवं वार्षिक व्यय सीमा है। इस कम में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा निर्धारित राशि को अनुमोदन प्राप्त करने की पृच्छा की गई थी। तत्पश्चात् राज्य स्तर पर आपके द्वारा प्रेषित अनुमोदित मदवार राशि की समीक्षा कर एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के आलोक में जिलों को अंतिम रूप से मुल कर्णाकित मद में राशि को आवंटित किया जा रहा है ।

2) कर्णाकित मद :–

2.1) मूल कर्णाकित राशि यथा (आर0सी0एच0–II (पार्ट–ए), एन0आर0एच0एम0 एडिस्नालिटिज (पार्ट–बी0), नियमित टीकाकरण, तथा पल्स पोलियो (पार्ट–सी0) एवं रोग नियत्रण कार्यक्रम आदि) ।

मूल कर्णाकित मद् का भाग–सी0 में नियमित टीकाकरण तथा पल्स पोलियो की राशि निर्गत की जा रही है। अतैव मूल कर्णाकित मद भाग–सी0 को दो भागों में विभक्त किया गया है –नियमित टीकाकरण एवं पल्स पोलियों, नियमित टीकाकरण के शीर्ष को सी0–आर0आई0 तथा पल्स पोलियों मद को सी0–पी0पी0 पढ़ा जाये।

2.2) प्रथम उपकर्णाकित राशि यथा आर0सि0एच0–II (मुल कर्णाकित मद) में मेटरनल हेल्थ, चाईल्ड हेल्थ, इन्फास्ट्रक्चर, फैमिली पलानिंग, अर्स, अरबन हेल्थ, इनोवेशन, इन्स्टीच्यूशनल स्ट्रेथनिंग, ट्रेनिंग, आई0ई0सी0/बी0सी0सी0, प्राक्यूरमेंट ऑफ इक्यूपमेंट एवं प्रोग्राम मैनेजमेंट आदि शीर्ष आते है ।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

2.3) द्वितीय उपकर्णाकित राशि अर्थात उदाहरण के लिये मेटरनल हेल्थ जो कि प्रथम उपकर्णाकित मद की राशि के अन्तगर्त आता है । इसके अन्तगर्त द्वितीय उपकर्णाकित राशि यथा आपरेशनलाइज्ड एफ0आर0यू0, रेफरल ट्रासपोर्ट, जे0वी0एस0वाई0 इत्यादि आते है।

2.4) तृतीय उपकर्णाकित राशि यथा जे0वी0एस0वाई0 के अर्न्तगत होम डिलेवरी इन्सटीट्यूश्न डिलेवरी आदि आते हैं।

2.5) चतुर्थ उपकर्णाकित राशि के अर्न्तगत इन्सटीट्यूश्न डिलेवरी में रुरल एवं अरबन डिलेवरी मद आदि आयेंगे।

3) वर्त्तमान में स्वास्थ्य सेवाओ को राज्य में सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में पहली बार मूल कर्णाकित मद में प्रथम त्रैमास की राशि इस पत्र के माध्यम से निर्गत की जा रही है। जिलेवार एवं मूल कर्णाकित मदवार वार्षिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य को निर्धारित कर पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है (अनुलग्नक–'क')।

4) जिलों को प्रेषित की जा रही मूल कर्णाकित राशि एवं प्रथम उप कर्णाकित राशि के योग में अंतर है।यह इसलिए है कि व्यय करने की गति में लचीलापन हो और इस प्रकार जिलों में राशि के व्यय करने की गति में वृद्धि हो।

इस कम में जिला स्तर पर मूल कर्णाकित राशि को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उप कर्णाकित मदों में बांटा जाए जिसका आधार निम्नवत होगा–

4.1) राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सभी मदों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । (अनुलग्नक–'ख')।इसमें जननी बाल सुरक्षा (पार्ट ए), आशा(पार्ट बी), पल्स पोलियो(पार्ट सी –पी0पी0) को छोड. कर सभी मदों में 25% की वृद्धि करने की स्वतंत्रता दी जाती है क्योंकि ऐसा करने पर हीं जिलों को आबंटित वार्षिक लक्ष्य (मूल कर्णाकित मद) प्राप्त कर पायेंगे।साथ हीं यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि 25% वृद्धि की गयी राशि हीं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उप कर्णाकित मदों का वार्षिक व्यय सीमा होगी।

5) तत्पश्चात राशि के निर्गत करने का आधार इस पत्र के माध्यम से दी जाने वाली राशि तथा 01 अप्रैल 2009 का ओपेनिंग बैलेंस का कुल योग का 80 प्रतिशत मदवार व्यय विवरणी होगा।(ओपनिंग बैलेंस का अर्थ है कि जिलें में उपलब्ध शेष राशि एवं बैंक द्वारा दिये गये ब्याज की राशि का कुल योग है, यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ब्याज की राशि को उसी कर्णाकिंत मद में जोड़ा जाये जिसके मूलधन की राशि पर ब्याज प्राप्त हुआ है जैसे आ0सी0एच0 मद की ब्याज की राशि को आ0सी0एच0 मद वाले कर्णाकिंत मद में हीं जोड़ा जाये।)

6) इस कम में जिले के स्तर पर व्यय को गति प्रदान करने हेतु पत्रांक संख्या 10095 दिनांक 12/05/2009 के माध्यम से उल्लेखित प्रकिया को कियान्वित करना सुनिश्चित करें ।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012)

7) प्रखंड स्तरीय त्रैमासिक एवं वार्षिक मदों में आवंटित राशि का अनुमोदन कर्णाकित मदों में जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त कर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं विभिन्न इकाईयों को अनुमोदित राशि की सूचना 25/5/2009 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें । कर्णाकित मदों का उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है –

8) राज्य स्वास्थ्य समिति राशि का आवंटन केवल मूल कर्णाकित मद में करेगी जिसे जिला स्वास्थ्य समिति जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय कर्णाकित मद में राशि को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य इकाईयों को आवटित करेगी जिसका आधार निम्नवत होगा –

क) मूल कर्णाकित मद की प्रथम त्रैमासिक व्यय सीमा का 50 प्रतिशत राशि को निर्धारित करे ।

ख) 1 अप्रेल 2009 के ओपेनिंग बैलेस की मूल कर्णाकित मद की राशि को तय करें, अर्थात राज्य स्वास्थ्य समिति से पिछले वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवंटित राशि के सभी उपकर्णाकित मदों की राशि को सम्बंधित मूल कर्णाकिंत मद की राशि में संकलित कर 01 अप्रैल, 2009 तक जिला स्तर पर उपलब्ध राशि एवं बैंक द्वारा दिये गये ब्याज की राशि के कुल योग का निर्धारण मूल कर्णाकिंत राशि में करें।(यहां यह पुनः स्पष्ट करना उचित होगा कि ब्याज की राशि को उसी कर्णाकिंत मद में जोड़ा जाये जिसके मूलधन की राशि पर ब्याज प्राप्त हुआ है जैसे आ0सी0एच0 मद के ब्याज की राशि को आ0सी0एच0 मद वाले कर्णाकिंत मद में हीं जोड़ा जाये।)

ग) बिंदु 'क' की राशि में से बिन्दु ख की राशि को घटाये ।

घ) शेष राशि का आवंटन संबंधित ईकाईयों को करे ।

ड़) दुसरी बार राशि का आवंटन का आधार पहली बार कर्णाकित मदों में आवंटित राशि एवं 01 अप्रेल 2009 की राशि के योग का 80 प्रतिशत व्यय होने पर प्रथम त्रैमास की व्यय सीमा का शेष 50 प्रतिशत राशि जिले के द्वारा कर्णाकित मदों में विभिन्न इकाईयों को आवंटित की जाये ।

च) यदि निर्धारित प्रकिया के आधार पर मूल कर्णाकित मद में लक्ष्य आधारित, व्यय सीमा राशि जिले में उपलब्ध नहीं हो तो उपलबध राशि को यूनिट कॉस्ट के आधार पर eligible इकाईयों को आवंटित किया जाये । यदि किसी इकाई ने आवंटित उपर्युक्त राशि को भी खर्च कर दिया है तो त्रैमासिक व्यय सीमा के अन्तर्गत व्यय नहीं करने वाले इकाइयों को जिले स्तर पर शेष बची हुयी राशि को खर्च करने वाले इकाईयों को उपलब्ध करवा दिया जाये । राशि विमुक्त करने की प्रकिया में सभी इकाईयों से व्यय विवरणी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है राशि विमुक्त करने का आधार इकाईयों द्वारा प्राप्त व्यय विवरणी के आलोक में 24 घंटे के अंदर तत्काल जिले से eligible ईकाई को राशि विमुक्त करना सुनिश्चित करे । यदि eligible इकाई के द्वारा भेजी गयी व्यय विवरणी जिले पर प्राप्त होने पर यदि जिला स्तर से 24 घंटे के अंदर संबंधित इकाई को राशि विमुक्त नहीं किया जाता है तो सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक इसके लिये जवाबदेह होंगे ।इसी प्रकार जिले को उपलब्ध करायी गयी 80% राशि के व्यय होने पर जिला लेखा प्रबंधक राज्य स्तर पर 24 घंटे के अंदर वित प्रबंधक को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे एवं वित प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों को 48 घंटो के अंदर आगामी किश्त की राशि उपलब्ध हो जाए।यदि यह नहीं होता

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

है तो जिला प्रोग्राम प्रबंधक मो0 सं0 9431083310 पर एस0एम0एस0 करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के पी0ए0 को सुचित करेंगे।

9) व्यय की गति को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि अधिक खर्च करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं इकाईयों को 80 प्रतिशत राशि की व्यय विवरणी के आधार पर प्रतिदिन जिले से विभिन्न इकाईयों को राशि निर्गत करने की प्रकिया शीघ्र प्रारंभ की जाये । इस क्रम में सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनुमोदित राशि के आवंटन हेतु संचिका में आवश्यकता अनुसार सम्बंधित कार्यक्रम पदाधिकारी से राय लेकर सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निर्गत कर सकते है। साथ ही यह ध्यान रखे कि प्रथम एवं द्वितीय उपकर्णाकित मद की वार्षिक व्यय सीमा से यह राशि अधिक नही होनी चाहिए। इसका ध्यान रखें कि मूल कर्णाकित मद का वार्षिक लक्ष्य तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उपकर्णाकित मदों की 25% वृद्धि की गयी वार्षिक लक्ष्य की व्यय सीमा से यह राशि अधिक नहीं होनी चाहिए।

10) यह आवश्यक है कि सभी मूल कर्णाकित मद की वार्षिक व्यय सीमा से अधिक की राशि का आवंटन नहीं किया जा सकता है । यदि किसी भी मूल कर्णाकित मद की राशि का निर्धारित वार्षिक व्यय–सीमा से अधिक खर्च होता है तो वार्षिक व्यय–सीमा से अधिक राशि को अनुमोदन कर्त्ता पदाधिकारियों से वसूला जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि इस प्रकिया के सूचारू क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित करे।

(अनुलग्नक–'क' आर0सी0एच0–एन0आर0एच0एम0 एडिस्नालिटिज, नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो का वार्षिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य)
(अनुलग्नक–'ख' सभी कर्णाकित मदों की राशि)

विश्वासभाजन

(ए०एस०मैथ्यू) 11/5/09

प्रतिलिपिः

1. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।